कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-298 दिनांक: 01/10/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 38.वीं दिनांक 25/9/2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 38वीं दिनांक 25/9/2002 प्रातः/सायं 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन....................,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 38वीं बैठक दिनांक 25-9-2002 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रकरणों पर भी विचार-विमर्श किया गया-

(1) विषय :- मोती भवन गृ.नि.स.स.की योजना आनन्द नगर के अनुमोदन के संबंध में(जोन बी-6)।

योजना के अनुमोदन के संबंध में पूर्व भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 28-8-2002 में विचार-विमर्श हुआ था जिसमें निर्णय लिया गया था कि संपूर्ण भूमि पी.आर.एन. योजना में अवाप्ताधीन है अतः स्थगित रखा जावे।

उपायुक्त जोन बी-6 ने बताया कि अब राज्य सरकार द्वारा पी.आर.एन. योजना को अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया है। अतः प्रकरण पर पुनः विचार किया जावे।

बाद विचार-विमर्श योजना के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिये गये-

1. योजना के मानचित्र पर राज्य सरकार से पी.आर.एन. की अवाप्ति की मुक्ति के आदेश आने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
2. योजना के उत्तर और दक्षिण से गुजर रही 30 फिट की सडकों को 40 फिट किया जाये।
3. चूंकि योजना में कोई भी सुविधा क्षेत्र समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है। अतः समिति से 60:40 के अनुपात रखते हुये सुविधा क्षेत्र छोडते हुये संशोधित मानचित्र लिया जावे

(2) विषय :- दी कृष्णा कॉपरेटिव सोसायटी की योजना के. 5 सी. के अनुमोदन के संबंध में(जोन बी-6)।

उपायुक्त जोन बी-6 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श कर योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तो के साथ किया गया-

1. योजना ग्राम सहजपुरा के खसरा नम्बर 15 व 17 के आधे भाग पर स्थित है परन्तु सहकारी समिति का खसरा नम्बर 15 पर कोई स्वामित्व नहीं है एवं इस खसरे के संबंध में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्णयानुसार कृष्णा हा0 कॉ0 सो0 के विरूद्ध निर्णय हो चुका है। अतः खसरा नम्बर 15 से प्रभावित सभी भूखण्डों को अनुमोदित नहीं किया जाये।
2. योजना 2571.25 वर्ग गज अधिक भूमि पर बसी हुई है। अतः इस अधिक क्षेत्रफल का नियमन उपायुक्त नियमानुसार करें।
3. पूर्व में तकनीकी अनुमोदित मानचित्रों में भूखण्ड संख्या 81 से 86 अंकित किये हुये हैं परन्तु वर्तमान में योजना में इन भूखण्डों का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः इन भूखण्डों को योजना से विलोपित किया जाये।
4. पूर्व में तकनीकी अनुमोदित मानचित्रों में योजना के उत्तर में सुविधा क्षेत्र में जो दुकानें अनुमोदित थीं उन्हें निरस्त किया जाये ताकि संपूर्ण क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र का लाभ मिल सके और इस पूरे क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र के रूप में अंकित किया जाये।
5. जिन भूखण्डों में भूखण्डधारियों द्वारा आवासीय भूखण्डों पर वाणिज्यिक दुकानों का अनधिकृत निर्माण कर लिया गया है उन दुकानों का नियमन नहीं किया जाये अपितु निर्धारित सैटबैक रखते हुये नियमानुसार आवासीय नियमन किया जाये।

(3) विषय :- गुलाबबाडी की योजना डॉक्टर्स कॉलोनी के अनुमोदन के संबंध में (जोन बी-6)।

उपायुक्त जोन बी-6 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श कर योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया-

1. खसरा नम्बर 217 जोन की रिपोर्ट के अनुसार अवाप्ति में है परन्तु मौके पर 2 पार्क व कुछ भूखण्ड निर्मित हैं। अतः योजना का भाग माने जाने की स्वीकृति दी गयी।
2. भूखण्ड संख्या 154 का आधा भाग चित्रकूट आवासीय योजना में आता है अतः इसे अस्वीकृत किया गया।
3. उपायुक्त जोन बी-6 द्वारा सुझाये अनुसार 80 फिट रोड के उत्तर में भूखण्ड संख्या 148 के साथ-साथ 60 फिट रोड बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें भूखण्ड संख्या 149ए(रिक्त) का अधिकांश हिस्सा चला जाता है।अतः इसे भी प्रस्तावित रोड में आने के कारण अस्वीकृत किया गया।
4. भूखण्ड संख्या 37, 24ए, 64बी, 85ए और 54 की सीमा में आ रहे क्षेत्र का पुनः सर्वे किया जाकर मौके के अनुसार नियमन की कार्यवाही की जाये।
5. प्राइवेट सर्वेयर वास्तुविद सुगाता विश्वास द्वारा सर्वे का कार्य मौके के अनुसार नहीं किया गया। इन्हें काली सूची में डाला जावे।

(4) विषय :- श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 7 के अनुमोदन के संबंध में(जोन बी-3)।

उपायुक्त जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श कर योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया-

1. मास्टर विकास योजना में प्रश्नगत योजना का भू-उपयोग खुदरा व्यापार गोदाम एवं वेयर हाउस है। अतः इसका भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार किया जाये।
2. एच.टी. लाईन से प्रभावित होने के कारण बाईपास रोड पर प्रस्तावित सभी दुकानों को अस्वीकृत किया गया।

(5) विषय :- गणपति गृ.नि.स. समिति की योजना श्याम बिहार के अनुमोदन के सम्बन्ध में(जोन बी-3)।

उपायुक्त जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि सीकर रेलवे लााईन पर नाडी का फाटक से कच्चा ट्रेक जो इस योजना के पास से एच.टी. लाईन तक जाता है के संबंध में इस 60 फिट चौडी रोड का मौके पर डिमार्केशन करने के पश्चात योजना को पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

(6) विषय :- म्यूचुयल हा0 कॉ0 सोसायटी की योजना नम्बर 15 सी के भूखण्ड संख्या 49 व 49ए में स्थित मंदिर के विवाद के सम्बन्ध में।

एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया एवं प्रार्थीगण श्री अमित मेहतो एवं कॉलोनी के निवासियों को सुना गया। बाद विचार-विमर्श समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 25.09.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गयेः-

1. जय अम्बे गृ.नि.स.स. की कैलाश विहार योजना के अनुमोदन के सबंध में। (जोन डी-1)
2. अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. की योजना रजनी विहार के अनुमोदन के संबंध में। (जोन डी-1)
3. जय चामुन्डा गृ.नि.स.स. की सरदार सिंह नगर योजना के अनुमोदन के सबंध में (जोन डी-2)
4. दी जयपुर वाल्मिकी गृ.नि.स.स. की योजना कैलाश विहार के योजना मानचित्र के अनुमोदन के संबंध में (लालकोठी जोन)
5. जय चामुन्डा गृ.नि.स.स की योजना आनन्द विहार का मानचित्र अनुमोदन के संबंध में। (लालकोठी जोन)

उपरोक्त एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. जय अम्बे गृ.नि.स.स. की कैलाश विहार योजना के अनुमोदन के सबंध में। जोनल लेबल कमेटी (जोन डी - 1) की बैठक दिनांक 18.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि :-

   प्रकरण में पूर्व बीपीसी II (ले आउट प्लान) के निर्णय दिनांक 23.4.2002 के संदर्भ में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मौका निरिक्षण के संबंध में पुनः चर्चा की गयी व निर्णय लिया गया कि योजना में कुछ भूखण्डों में औद्योगिक /व्यवसायिक गतिविधियां जेसे चारा मशीन, वर्कशाप, धर्मकांटा इत्यादि चल रहें हैं। इस प्रकार के भूखण्डों का नियमन किस प्रकार किया जा सकता हैं, की Policy पर विचार किये जाने हेतू उपायुक्त जोन द्वारा उपयुक्त प्रस्ताव बनाकर बीपीसी (ले आउट प्लान) समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें, ताकि ऐसे मामलों में क्या किया विचारधारा रखी जानी है, के संदर्भ में मंथन किया जा सके।

2. अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. की योजना रजनी विहार के अनुमोदन के संबंध में (जोन डी-1)- प्रकरण में पूर्व बीपीसी II (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 31.7. 2002 के संदर्भ में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मौका निरिक्षण पश्चात योजना के अनुमोदन के संबंध में प्रकरण का पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया व निर्णय लिया गया कि :-

   1. योजना मानचित्र में स्कूल हेतू दर्शाये गये भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र मानते हुए इसके आवंटन की कार्यवाही जविप्रा द्वारा की जावेगी। तदनुसार इस भूखण्ड का क्षेत्र 1963 वर्ग गज सुविधा क्षेत्र की गणना में लिया जावें।

2. योजना मानचित्र में दर्शायी गयी 80 फिट सडकों को सेक्टर रोड मानते हुए जविप्रा के आदेश कमाक जविप्रा/आयुक्त/2002/डी-205 दिनांक 17.9.2002 के आदेश के परिपेश्य में परिक्षण कर आवासीय प्रतिशत कम से कम 55 प्रतिशत रखते हुए एवं सडकों के क्षेत्र को शामिल करने के पश्चात सुविधा क्षेत्र हेतू नियमानुसार 6621 वर्ग गज भूमि की आवश्यकता होगी। योजना मानचित्र में स्कूल हेतू 1963 वर्ग गज भूमि दर्शायी गयी है जिसे सुविधा क्षेत्र मानते हुए शेष 4677 वर्ग गज भूमि की ओर आवश्यकता होगी। अतः कौनसी भूमि सुविधा क्षेत्र हेतू रखी जानी हैं के लिये समिति से जोन द्वारा प्रस्ताव मांग लिया जावें। अतः प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

3. जय चामुन्डा गृ.नि.स.स. की सरदार सिंह नगर योजना के अनुमोदन के सबंध में - जोनल लेबल कमेटी (जोन डी-2) की बैठक दिनांक 27.02.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि :-

प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जो माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग द्वारा Forward करके भिजवाया गया हैं, के संबंध में पूर्ण तथ्यों का परीक्षण कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः रखा जावें।

4. दी जयपुर वाल्मिकी गृ.नि.स.स. की योजना कैलाश विहार के योजना मानचित्र के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल कमेटी (जोन लालकोठी) की बैठक दिनांक -- में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ तकनीकि अनुमोदित किया गया :-

1. योजना में भूखण्ड संख्या 1 व 2 सडक मार्गाधिकार से प्रभावित होने के कारण इनका नियमन नहीं किया जावें
2. भूखण्ड संख्या 3 से 7 के उत्तर की तरफ सडक 30' रखी जावें एवं भूखण्ड संख्या 8 से 11 के दक्षिण की ओर स्थित सडक मौके पर उपलब्ध चौडाई (33' से 36') अनुसार ही रखी जावें।
3. भूखण्डों का स्वामित्व निर्धारण करते हेतू मौके पर काबिज भूखण्डधारियों की सूची का नोटिस जिसमें भूखण्ड संख्या, भूखण्ड पर काबिज व्यक्ति का नाम व क्षेत्रफल अंकित करते हुए दैनिक समाचार पत्र में उपायुक्त जोन द्वा दिया जावें। उक्त नोटिस के संदर्भ में मौके पर काबिज भूखण्डधारी के प्रति यदि कोई विवाद प्राप्त ना हो तो ऐसे प्रत्येक अविवादित भूखण्ड का नियमन किया जावें।

5. जय चामुन्डा गृ.नि.स.स की योजना आनन्द विहार का मानचित्र अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल कमेटी (जोन लालकोठी) की बैठक दिनांक -- में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा

के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया गया कि :-

1. योजना मानचित्र पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जविप्रा द्वारा तैयार किये गये मानचित्र संख्या R/RLP/JDA/94/24 में दर्शायी गयी सडकों व योजना में 60:40 के अनुपात के सदर्भ में निदेशक (आयोजना) द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..381वीं...बैठक दिनांक...25-9-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर A-1 :

विषय:- जयपुरिया फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तावित ओरफेनेज इन्स्टीट्यूट चिल्ड्रन होम कम वोकेशनल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट बनाने हेतु 15 एकड़ भूमि में से 7.5 एकड़ भूमि पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 2-12-87 अनुसार योजना स्वीकृत करने हेतु ।

उपायुक्त जोन ए-1 द्वारा प्रकरण में एजेण्डे के प्रशासनिक तथ्यों पर प्रकाश डाला तथा जयपुरिया फाउन्डेशन के अध्यक्ष को भी बैठक में बुलाकर सुना गया ।

विचार-विमर्श पश्चात् बैठक में निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन ए-1 प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर एक नोट तैयार कर आगामी बैठक में पुनः प्रकरण प्रस्तुत करेंगे :-

1- प्रकरण से संबंधित भूमि का कुल क्षेत्रफल तथा उसमें आ रहे सरकारी खसरों की भूमि का विवरण मय क्षेत्रफल एवं मानचित्र पर अंकन ।

2- भूमि के संबंध में विभिन्न चरणों (लेन्ड ब्रेक अप) का विवरण ।

3- प्रकरण में सम्पूर्ण प्रशासनिक बिन्दुओं पर एक विस्तृत नोट ।

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 38वीं बैठक दिनांक 25-9-2002 को प्रात: 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1.	श्री अशोक तंवर, विधायक	सदस्य
2.	श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य	सदस्य
3.	श्री रोहित कुमार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
4.	श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
5.	श्रीमती शुचि शर्मा, अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व, जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
6.	श्री ओ.पी.यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
7.	श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी)	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,
2. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक,(बीपीसी),जविप्रा,जयपुर।
4. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
5. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
6. श्री अनन्त देव टांक,उप नगर नियोजक,लालकोठी,जविप्रा,जयपुर।7.
7. श्री गिरिराज अग्रवाल,उपायुक्त जोन ए-1, जविप्रा,जयपुर।
8. श्री असलम शेर खां, उपायुक्त, जोन बी-1,जविप्रा,जयपुर।
9. श्री वी.पी. सिंह, उपायुक्त जोन बी-3,जविप्रा, जयपुर।
10. श्री श्रीपाल शर्मा, उपायुक्त जोन बी-6, जविप्रा,जयपुर।
11. श्रीमती रश्मी गुप्ता, उपायुक्त जोन बी-7, जविप्रा,जयपुर।
12. श्री निरंजन खींचा, उपायुक्त, जोन लालकोठी, जविप्रा, जयपुर।
13. श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त जोन डी-1, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री भीमा राम चौधरी, उपायुक्त जोन सी-2,जविप्रा,जयपुर।
15. श्री एस.सी. मीणा, जन सम्पर्क अधिकारी,जविप्रा,जयपुर।
16. श्री हरकीरत सिंह, उपरजिस्ट्रांर(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
17. श्री हरिप्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3,जविप्रा,जयपुर।
18. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-6,जविप्रा,जयपुर।
19. श्री गिरीश शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-2, जविप्रा,जयपुर।
20. सहायक नगर नियोजक, जोन डी-1,जविप्रा,जयपुर।